



e/; i ns'k 0; kol kf; d ijh{kk e.My] Hkksi ky  
 चयन भवन, मेन रोड नं. 1, चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल – 462011  
 फोन नं. 0755-2578801, 02, 03, 04 फैक्स : 0755-2550498  
 ई-मेल : vyapam@mp.nic.in वेबसाइट : www.vyapam.nic.in

होमगार्ड मुख्यालय, गृह (पुलिस) विभाग, मध्यप्रदेश शासन  
 के अंतर्गत प्लाटून कमांडर की भर्ती हेतु चयन  
 परीक्षा-2014

ijh{kk l pkyu , oa HkrhZ fu; e

ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की प्रारम्भ तिथि	01.07.2014	
ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की अंतिम तिथि	30.07.2014	
आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में सशोधन करने की प्रारम्भ तिथि	31.07.2014	
आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में सशोधन करने की अंतिम तिथि	09.08.2014	
परीक्षा दिनांक व दिन	28.09.2014 (रविवार)	
परीक्षा शुल्क	अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए :-	रु. 700/-
	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए :-	रु. 350/-
ऑनलाईन आवेदन-पत्र हेतु एम.पी. ऑनलाईन का शुल्क रु. 70/- देय होगा।		

l e; l kj .kh

परीक्षा, दिनांक एवं दिन	परीक्षा प्रारम्भ समय	उत्तरशीट्स वितरण समय	उत्तरशीट में आवश्यक जानकारियाँ भरने का समय	प्रश्न-पत्र वितरण समय	प्रश्न-पत्र परीक्षण का समय	उत्तरशीट में उत्तर भरने का समय
28.09.2014 (रविवार) हिन्दी एवं अंग्रेजी में दक्षता	प्रातः 11:00 बजे से	प्रातः 11:00 से 11:10 बजे तक (10 मिनट)	प्रातः 11:00 से 11:10 बजे तक (10 मिनट)	प्रातः 11:10 बजे	प्रातः 11:10 से 11:15 बजे तक (05 मिनट)	प्रातः 11:15 से 01:15 बजे तक (2:00 घंटे)
28.09.2014 (रविवार) सामान्य ज्ञान	दोपहर 03:00 बजे से	दोपहर 03:00 से 03:10 बजे तक (10 मिनट)	दोपहर 03:00 से 03:10 बजे तक (10 मिनट)	दोपहर 03:10 बजे	दोपहर 03:10 से 03:15 बजे तक (05 मिनट)	दोपहर 03:15 से 05:15 बजे तक (2:00 घंटे)

टिप्पणी :-

- परीक्षार्थियों को परीक्षा प्रारम्भ होने के समय से 15 मिनट तक ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति दी जायेगी। इसके पश्चात् परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
- परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष छोड़ने के पूर्व ओ.एम.आर. उत्तरशीट वीक्षक को अनिवार्य रूप से सौंपना होगा।
- परीक्षा कक्ष में मोबाईल फोन, केलक्यूलेटर, लॉग टेबल्स, नकल पर्चा एवं व्हाईटनर आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है।
- ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक के द्वारा ही लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अतः आवेदन-पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त/जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी।
- परीक्षा केन्द्र पर आवेदक को काला बाल प्वाइंट पेन, परीक्षा हाल में प्रवेश हेतु मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किये गये प्रवेश-पत्र के साथ साथ फोटोयुक्त पहचान पत्र जैसे:- मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस, फोटोयुक्त अंकसूची तथा पासपोर्ट में से कोई एक लाना अनिवार्य होगा। अन्यथा अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए उसे परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा।
- मण्डल द्वारा जारी प्रवेश-पत्र (टी0ए0सी0) के द्वितीय भाग में अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में प्रयोग किया गया फोटो लगाकर राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित करवाकर लाना अनिवार्य होगा अन्यथा अभ्यर्थी को परीक्षा में शामिल होने के पात्रता नहीं होगी।

होमगार्ड मुख्यालय, गृह (पुलिस) विभाग, मध्यप्रदेश शासन  
के अंतर्गत प्लाटून कमांडर की भर्ती हेतु चयन  
परीक्षा-2014

विषय सूची

I - Øa	fooj .k	i "B Øa
1.	V/; k; &1 & होमगार्ड मुख्यालय, गृह (पुलिस) विभाग, मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत प्लाटून कमांडर की भर्ती हेतु चयन परीक्षा-2014 के लिए विभागीय नियम	03-12
2.	V/; k; &2 - मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल के परीक्षा संचालन नियम एवं निर्देश	13-20
3.	V/; k; &3- विस्तृत पाठ्यक्रम	21-22
4.	V/; k; &4 - आवश्यक प्रमाण-पत्रों के प्रारूप	23-28

**अध्याय – 1**  
**होमगार्ड मुख्यालय, गृह (पुलिस) विभाग, मध्यप्रदेश शासन**  
**के अंतर्गत प्लाटून कमांडर की भर्ती हेतु चयन**  
**परीक्षा-2014 के लिए विभागीय नियम**

**1.1 सामान्य :-**

होमगार्ड मुख्यालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर तथा मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग के पत्र क्रमांक एफ-2 (अ) 16/13/बी 4/दो, दिनांक 14.03.2013 के अनुसार होमगार्ड विभाग में प्लाटून कमांडर के रिक्त पदों की भर्ती हेतु उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

**1.2 परिभाषायें :-**

- (अ) इन निर्देशों में श्रेणी से तात्पर्य चार श्रेणियों अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग से होगा।  
(ब) "समिति" से अभिप्रेत है – राज्य शासन द्वारा गठित की गई चयन समिति।  
(स) "प्रथम चरण" से अभिप्रेत है – मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा।  
(द) "द्वितीय चरण" से अभिप्रेत है – होमगार्ड विभाग द्वारा आयोजित शारीरिक नापतौल, शारीरिक दक्षता परीक्षण के पश्चात् साक्षात्कार।  
(ई) "मण्डल" से तात्पर्य मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल से है।  
(फ) म.प्र. से तात्पर्य मध्यप्रदेश है।

**1.3 रिक्त पदों की तालिका :-**

स.क्रं.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	
1.	अनारक्षित (UR)	13	06	02	00	21
2.	अनुसूचित जाति (SC)	04	02	01	00	07
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	04	02	01	00	07
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	03	02	01	00	06
; kx %		24	12	05	00	41

**नोट-(1)** मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक- सी-3-2-97-3- एक दिनांक 7 फरवरी 97 के द्वारा महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण 'हारीजोन्टल एवं कम्पार्टमेंट वाईज' निर्धारित किया गया है। 10 प्रतिशत पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित है। ये दोनों ही हारीजोन्टल आरक्षण है। योग्य उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर इनके लिये आरक्षित पद कैरीफारवर्ड नहीं होंगे। ऐसी स्थिति में यह पद उसी श्रेणी के अन्य उपलब्ध योग्य उम्मीदवारों से भरे जावेंगे यदि चयन सूची में पहले से ही 30 प्रतिशत महिलायें, 10 प्रतिशत भूतपूर्व सैनिक मैरिट के आधार पर उपलब्ध होंगे तो पृथक से आरक्षण और नहीं दिया जायेगा।

यहाँ स्पष्ट करना आवश्यक है कि सामाजिक वर्ग पर आधारित आरक्षण अर्थात् अनुसूचित जाति, अनु. जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित आरक्षण 'वर्टिकल' स्वरूप का है। जबकि महिलाओं, तथा भूत पूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण "हारीजोन्टल एवं कम्पार्टमेंट वाईज" स्वरूप का है। इन दो आरक्षणों में अन्तर मान्. उच्चतम न्यायालय द्वारा इन्द्रा साहनी विरुद्ध भारत संघ (1992 SUPP(3) SCC-217) में स्पष्ट किया गया है। हारीजोन्टल एवं कम्पार्टमेंट वाईज आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया जो मान्. उच्चतम न्यायालय द्वारा अनिल कुमार गुप्ता विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य के प्रकरण में निर्धारित की गई है {संदर्भ "1995 (2) SUPP, SCR - 396 1995(5) SCC- 173} का अनुसरण किया जाता है।

प्लाटून कमांडर के पदों पर आरक्षण नियमों के अनुसार योग्य महिला उम्मीदवार न मिलने पर पद कैरी फारवर्ड नहीं होगा बल्कि उसी जाति के योग्य पुरुष से भरा जायेगा।

- (2) शासन द्वारा आरक्षण के संबंध में समय समय पर जारी आदेशों के तहत पद सुरक्षित होंगे। अंतिम चयन के समय में वास्तविक रिक्त पदों की स्थिति को देखते हुये इस संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती है।

**1.4 पदों का वेतनमान :-**

प्लाटून कमांडर- रु. 5200-20200/- , ग्रेड वेतन - 2800/-

म0प्र0 शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-9/3/2003/नियम-4/ दिनांक 13.4.2005 एवं क्रं एफ-9/डी/2003 नियम-4 दिनांक 2.7.2005 के अनुसार दिनांक 01.01.2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिये परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली लागू की गई है।

1.5 परीक्षा केन्द्र :- परीक्षा केन्द्रों का विवरण अध्याय-2 में देखें।

1-6- fu/klfj r vk; q l hek %&

अभ्यर्थी की आयु 01 जनवरी 2015 को 21 वर्ष से कम एवं 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।

1-6-1 mPprj vk; q l hek ea NW %&

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी 3-11/12/1/3 दिनांक 03.11.2012 एवं ज्ञाप क्रमांक सी 3-11/2012/3/एक दिनांक 20.11.2012 द्वारा राज्य शासन के अनुसार निम्न संवर्गों के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा निम्नानुसार है:-

1-6-2 निम्न संवर्गों के अन्तर्गत आने वाले अभ्यर्थियों को निम्नानुसार आयु सीमा में छूट प्रदान की गई है:-

स.क्रं.	आवेदक एवं श्रेणी	अधिकतम आयु सीमा
1.	पुरुष आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	40 वर्ष
2.	पुरुष आवेदक (शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	45 वर्ष
3.	पुरुष आवेदक (आरक्षित वर्ग- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग)	45 वर्ष
4.	पुरुष आवेदक (आरक्षित वर्ग-शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	45 वर्ष
5.	महिला आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	45 वर्ष
6.	महिला आवेदक (शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)(विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा)	45 वर्ष
7.	महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग)	45 वर्ष
8.	म.प्र. के भूतपूर्व सैनिक आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	43 वर्ष
9.	म.प्र. के भूतपूर्व सैनिक आवेदक(आरक्षित वर्ग- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग)	45 वर्ष

1-6-3 i kRl kgu Lo: i nh tkus okyh Nw %&

1-6-4 परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीनकार्ड धारी आवेदकों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रं. सी-3-40-आ-84-(3)1, दिनांक 11.01.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 02 वर्ष की छूट दी जायेगी।

1-6-5 vkfne tkfr] gfj tu ,oa पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों के संवर्ग सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रं. सी-3-10-85-3-1, दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जावेगी।

1-6-6 "विक्रम पुरस्कार" से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी 3-18-85-3-1, दि. 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जावेगी।

1-6-7 e/; i n's k ds LFkklz fuokl h vkondka dh vk; q l hek ds l c'k ea vU; fooj .k %&

(क) ऐसे उम्मीदवार को, जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

- (ख) ऐसे उम्मीदवार, को जो कि छटनी किया गया शासकीय कर्मचारी हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा से अधिक से अधिक सात वर्ष की अवधि भले ही वह एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने की अनुमति दी जायेगी, बशर्ते कि इसके परिणाम स्वरूप निकलने वाली आयु अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो ।

स्पष्टीकरण :- शब्द "छटनी" किये गये शासकीय कर्मचारी से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो इस राज्य अथवा संघटक इकाई में से किसी भी इकाई की अस्थायी सरकारी सेवा में कम से कम छः माह तक निरन्तर रहा हो तथा रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व कर्मचारियों की संख्या में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया था ।

- (ग) ऐसे उम्मीदवार को, जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो ।

स्पष्टीकरण :-

1-6-8 शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग में रहा हो तथा भारत सरकार के अधीन कम से कम छः माह की निरन्तर कालावधि तक नियोजित रहा था और जिसका किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए अन्यथा आवेदन पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता यूनिट (इकाई) की सिफारिशों के फलस्वरूप या स्थापना में सामान्य कमी की जाने के कारण छटनी की गई थी या जो अतिशेष घोषित किया गया था ।

- (1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समय पूर्व निवृत्ति-रियायतों (मस्टरिंग आउट कन्सेशन) के अधीन सेवा मुक्त किया गया हो,
- (2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिसे दूसरी बार नामांकित किया गया हो, और
  - (क) अल्पकालीन वचनबंध पूर्ण हो जाने पर, उसे सेवामुक्त कर दिया गया हो
  - (ख) नामांकन संबंधी शर्तों, पूर्ण हो जाने पर, उसे सेवामुक्त कर दिया गया हो
- (3) मद्रास सिविल युनिट (इकाई) के भूतपूर्व कर्मचारी
- (4) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जिसमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी सम्मिलित है, उनकी संविदा पूर्ण होने पर सेवामुक्त किये गए हो,
- (5) ऐसे अधिकारी, जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर निरन्तर छः माह से अधिक समय तक कार्य करने के बाद सेवोन्मुक्त किया गया हो ।
- (6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग कर दिये गये हों ।
- (7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवामुक्त किया गया है, कि अब वे सक्षम सैनिक योग्य नहीं हैं ।
- (8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने तथा घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो,

टीप—

1-6-9

- (1) उपर्युक्त उल्लेखित आयु संबंधी रियायतों के अंतर्गत जिन उम्मीदवारों को चयन के योग्य माना गया हो वे यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के बाद, चयन के लिए उपस्थित होने के पूर्व या पश्चात सेवा से त्याग-पत्र दे दें, तो वे नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे तथापि यदि आवेदन पत्र भेजने के बाद उनकी सेवा अथवा पद से छटनी हो जावे तो वे नियुक्ति के पात्र बने रहेंगे। अन्य किसी भी मामले में इन आयु सीमाओं में छूट नहीं दी जावेगी। विभागीय उम्मीदवारों को चयन के लिए उपस्थित होने के लिये नियुक्ति प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी ।

1/2 1/2 ; fn dkbz vkond i kRl kgu Lo: i nh tkus okyh Nw/ka ea l s fu/kk/fjr  
vf/kdre vk; q l hek ea Nw/ ds ykHk ds fy; s , d l s vf/kd vk/kkj j [krk g\$ rks ml s

vf/kdre ykHk okys fdl h , d vk/kkj ds fy; s fu/kkFjr vf/kdre vk; q l hek ea gh  
 NW dk ykHk i klr gksxA ; g NW fu/kkFjr vf/kdre vk; q l hek ds vfrfjDr gksxA  
 l Hkh i dkj dh NW dks 'kkfey djrs gq fdl h Hkh fLFkr ea fdl h Hkh i dxl ds fy,  
 vf/kdre vk; q l hek 45 o"kl l s vf/kd ugh gksxA

1.6.10 किसी भी अन्य प्रकरण में आयु सीमा शिथिल नहीं की जायेगी। उच्चतर आयु सीमा में शिथिलता चाहने वाले उम्मीदवारों को तदाशय का निर्धारित प्रारूप में प्रमाण-पत्र सत्यापन के समय पेश करना होगा। जाति प्रमाण पत्र के नमूने इस नियम पुस्तिका के अध्याय-4 में दर्शाए गए हैं।

1.6.11 बच्चे संबंधी :-

कोई उम्मीदवार जिसकी 2 से अधिक संतान हैं, जिसमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 या उसके पश्चात् हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परन्तु निरर्हित नहीं होगा किन्तु वह निरर्हित नहीं होगा यदि एक सन्तान के जीवित रहते आगामी प्रसव में दो या दो से अधिक सन्तानों का जन्म होता है।

1.6.12 निरर्हता

कोई अभ्यर्थी निम्नलिखित में से किन्हीं भी परिस्थितियों में से किसी भी परिस्थिति में लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता, साक्षात्कार अथवा नियुक्ति के लिए निरर्ह हो जायेगा:-

- (एक) यदि उसने प्रतिरूपण किया है या किसी अन्य से प्रतिरूपण कराया है, परीक्षा के लिये निरर्ह घोषित कर दिया जावेगा।
- (दो) कोई ऐसा पुरुष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हों, इसी प्रकार महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह कर लिया हो जिसकी एक जीवित पत्नी हो, निरर्ह होगे।
- (तीन) कोई पुरुष अभ्यर्थी जिसने 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्व विवाह कर लिया हो तथा महिला अभ्यर्थी 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पूर्व विवाह कर लिया हो निरर्हित होगा/होगी।
- (चार) कोई अभ्यर्थी, जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक जन्म 26 जनवरी 2001 का या उसके पश्चात् हुआ है, निरर्हित होगा किन्तु वह निरर्हित नहीं होगा यदि एक सन्तान के जीवित रहते आगामी प्रसव में दो या दो से अधिक सन्तानों का जन्म होता है।
- (पांच) कोई अभ्यर्थी, जिसे न्यायालय द्वारा सिद्धदोष ठहराया गया है या महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, किसी सेवा या पद के लिए अर्हित नहीं होगा, किन्तु ऐसे अभ्यर्थी के मामले में, जिसके विरुद्ध मामला न्यायालय में लम्बित है, उसकी नियुक्ति का विनिश्चय अपराधिक मामले में अन्तिम निर्णय तक लम्बित रखा जावेगा।
- (छः) किसी अभ्यर्थी की ओर से अपने अभ्यर्थिता के लिए किन्हीं भी साधनों द्वारा समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निरर्हता माना जा सकेगा।
- (सात) यदि कोई अभ्यर्थी शारीरिक या मानसिक रूप से अनुपयुक्त है, तो वे नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
- (आठ) यदि कोई अभ्यर्थी चयन के पूर्व प्रस्तुत आवेदन में वास्तविक जानकारी छिपाता है या झूठी जानकारी देता है या उसके किसी भाग को खाली छोड़ता है, या चयन के उपरान्त विभाग द्वारा अभ्यर्थी से भरवाये जाने वाले अनुप्रमाणन प्रारूप में, उसकी जन्मतिथि, शैक्षणिक अर्हता, जाति, या जाति प्रमाण पत्र, नगर सैनिक के रूप में की गई सेवावधि से सम्बन्धित भरे गये ब्यौरे या उच्चतर आयु सीमा में छूट प्राप्त करने के लिए स्वयंसेवी नगर सैनिक या नॉन कमीशन अधिकारियों के रूप में नगर सेना में की गई सेवा अवधि या सेवा अवधि के प्रमाण पत्र ब्यौरे या भूतपूर्व सैनिक की दशा में उच्चतर आयु सीमा में छूट प्राप्त करने के लिए सशस्त्र बलों में की गई सेवा अवधि या सेवा अवधि के प्रमाण पत्र में या परिवार नियोजन के अधीन शल्य चिकित्सा या ग्रीन कार्ड प्रमाण पत्र, अन्तर्जातिय विवाह प्रोत्साहन योजना से सम्बन्धित पुरस्कार या उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिए उसका प्रमाण पत्र, विक्रम अवार्ड या उसके प्रमाण पत्र में बच्चों की संख्या या जन्मतिथि के बारे में कोई वास्तविक जानकारी छिपाता है या चयन प्रक्रिया के किसी भी प्रक्रम पर कोई कूटरचित या बदला हुआ दस्तावेज प्रस्तुत करता है तो उसका नाम चयन सूची से हटा दिया जावेगा तथा वह नियुक्ति के लिए निरर्हित घोषित कर दिया जावेगा।
- (नौ) यदि कोई अभ्यर्थी अनुप्रमाण प्रारूप में कोई वास्तविक जानकारी छिपाता है या गलत विवरण लिखता है या उसके कालम 12 को या उसके किसी भाग को, जो विभाग द्वारा अभ्यर्थी से चयन के पश्चात्

प्राप्त किया जाता है, रिक्त छोड़ता है, तो मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धान्त इस पैरामीटर (प्राचल) पर पात्रता को अन्तिम रूप से अवधारित करेंगे तथा अभ्यर्थी निर्हित होगा।

### 1.7 न्यूनतम शारीरिक अर्हता :-

अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित शारीरिक अर्हतायें अवश्य होनी चाहिए :-

1.7.1 उँचाई : पुरुष – 167.5 सेंटीमीटर या उससे अधिक

महिला – 152.4 सेंटीमीटर या उससे अधिक

1.7.2 सीना : पुरुष – सीना बिना फुलाये 81 सेंटीमीटर/फुलाने पर 86 सेंटीमीटर (अभ्यर्थी का सीना फुलाने एवं बिना फुलाने में कम से कम 5 सेंमी का अन्तर होना आवश्यक है इस विषय पर किसी प्रकार की छूट नहीं दी जायेगी।)

1.7.3 अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से अपंग नहीं होना चाहिये।

1.7.4 अभ्यर्थी में 'नॉक-नी' अथवा 'फ्लेट फुट' एवं कोई दृष्टि दोष नहीं होना चाहिये। अभ्यर्थी को चिकित्सक दृष्टि से पूर्णतः योग्य (मेडिकली फिट) होना आवश्यक है।

**नोट:-** न्यूनतम शारीरिक अर्हताओं पूर्ण करने वाले उम्मीदवार ही आवेदन करें। न्यूनतम शारीरिक अर्हताओं में छूट का कोई प्रावधान नहीं है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि निर्धारित नापजोख पूर्ण नहीं करने पर उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जायेगी।

### 1.8 न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता :-

स.क्र.	पदनाम	शैक्षणिक अर्हताएँ
01	प्लाटून कमांडर	शासन द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या उसके समतुल्य

#### 1.8.1 शैक्षणिक योग्यता में छूट :-

शैक्षणिक अर्हता में कोई छूट नहीं दी जावेगी, किन्तु अपवादित मामले में समिति, नियुक्ति प्राधिकारी की सिफारिश पर किसी ऐसे अभ्यर्थी को अर्ह मान सकेगी जिसके पास यद्यपि इस खण्ड में विहित अर्हताओं में से कोई अर्हता नहीं हो किन्तु जिसने अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षा ऐसे स्तर से उत्तीर्ण की हो जो समिति की राय में अभ्यर्थी को परीक्षा/चयन के लिये पात्र समझती हो। समिति अपने विवेकानुसार ऐसे अभ्यर्थियों को भी परीक्षा चयन में सम्मिलित कर सकेगी जो अन्यथा अर्ह हो, किन्तु जिन्होंने ऐसे विदेशी विश्वविद्यालय से उपाधियाँ प्राप्त की हों जो सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से मान्यता प्राप्त न हों।

1.8.2 अभ्यर्थी को भारत का नागरिक होना अनिवार्य हैं।

1.8.3 निर्धारित समस्त अर्हताएं आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम दिनांक तक उम्मीदवार के पास अवश्य होनी चाहिये, अर्थात् यदि कोई उम्मीदवार इस वर्ष स्नातक की परीक्षा में बैठा है और उसके पास स्नातक परीक्षा पास करने का प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है तो वह परीक्षा में बैठने के लिये पात्र नहीं है।

### 1.9 परीक्षा की योजना :-

म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र प्राप्त किए जायेंगे, जिसके साथ नियम पुस्तिका की कंडिका 2.4 में उल्लेखित दस्तावेज संलग्न किए जाने होंगे। ऑनलाईन आवेदन-पत्रों की स्क्रूटनी संबंधी आवश्यक निर्देश अध्याय-2 में दिए गए हैं, जिसके अनुसार लिखित परीक्षा हेतु अंतरिम प्रवेश पत्र मंडल की वेबसाइट [www.vyapam.nic.in](http://www.vyapam.nic.in) पर उपलब्ध होंगे।

प्लाटून कमांडर की चयन परीक्षा को निम्न लिखित तीन चरणों में संपन्न कराया जावेगा :-

- 1- प्रथम चरण : लिखित परीक्षा
- 2- द्वितीय चरण : शारीरिक प्रवीण्यता परीक्षा
- 3- तृतीय चरण : साक्षात्कार

इस चयन परीक्षा हेतु उम्मीदवारों द्वारा व्यावसायिक परीक्षा मंडल को आवेदन पत्र एमपी ऑन लाईन (M.P On line) के माध्यम से भरे जाते हैं। आवेदन-पत्र भरते समय उम्मीदवारों के किसी भी प्रमाण पत्र का परीक्षण व्यापम अथवा अन्य किसी भी अधिकारी द्वारा नहीं किया जाता है। अतः लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों का प्रवेश तथा लिखित परीक्षा का परिणाम प्रावधानिक (Provisional) होगा। लिखित परीक्षा में सफल होना किसी भी उम्मीदवार का अगले चरण हेतु कोई भी दावेदारी प्रदान नहीं करता है। लिखित

परीक्षा के आधार पर शारीरिक प्रवीणता परीक्षा के लिये बुलाये गये उम्मीदवारों का निम्नलिखित परीक्षण किया जावेगा :-

- 1- उम्मीदवार के समस्त मूल प्रमाण पत्रों का परीक्षण ।
- 2- उम्मीदवार की उँचाई एवं सीने का माप ।
- 3- उम्मीदवार की नॉक-नी एवं फ्लैट फुट का परीक्षण ।

उपरोक्त तीनों परीक्षणों पर सफल होने पर उम्मीदवारों को शारीरिक प्रवीण्यता परीक्षा के पांच इवेन्ट में भाग लेने की पात्रता प्राप्त होगी ।

यदि उम्मीदवार उपरोक्त किसी भी चरण में अयोग्य पाया जाता है अथवा असफल होता है तो अगले चरण में भाग लेने की पात्रता नहीं होगी, भले ही वह लिखित परीक्षा में सफल रहा हो। यदि उम्मीदवार उपरोक्त तीनों परीक्षणों में योग्य पाया जाता है तथा शारीरिक प्रवीण्यता परीक्षा में निर्धारित अंक प्राप्त कर सफल होता है, तभी उसे साक्षात्कार हेतु बुलाया जावेगा। उपरोक्त तीनों परीक्षणों में योग्य होने तथा शारीरिक प्रवीण्यता परीक्षा में निर्धारित अंक प्राप्त कर सफल हुये बिना उम्मीदवारों को साक्षात्कार में उपस्थित होने की पात्रता नहीं होगी:-

### 1.9.1 प्रथम चरण – लिखित परीक्षा :-

मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा ली जाने वाली लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्रों में विषय, समय, अवधि एवं अधिकतम अंक हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम में निम्नानुसार होंगे :-

क्रमांक	प्रश्न पत्र	अवधि	अधिकतम अंक
1	हिन्दी एवं अंग्रेजी में दक्षता	02 घंटे	100 (70+30)
2	सामान्य ज्ञान	02 घंटे	100

**नोट (क)** लिखित परीक्षा हाल में परीक्षा केन्द्र पर आवेदक को काला बाल प्वाइंट पेन, परीक्षा हाल में प्रवेश हेतु मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किये गये प्रवेश-पत्र के साथ साथ फोटोयुक्त पहचान पत्र जैसे:- मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस, फोटोयुक्त अंकसूची तथा पासपोर्ट में से कोई एक लाना अनिवार्य होगा। अन्यथा अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए उसे परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा।

**(ख)** आवेदक को लिखित परीक्षा के लिये मंडल द्वारा जारी प्रवेश-पत्र तथा काला बॉल प्वाइंट पेन अपने साथ लाना होगा।

**(ग)** परीक्षा में किसी प्रकार के केलकुलेटर, मोबाईल आदि के उपयोग की अनुमति नहीं दी जावेगी।

**(घ)** नकल – लिखित परीक्षा में जो उम्मीदवार अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुये अथवा नकल सामग्री के साथ पकड़ा जावेगा उसे तीन वर्षों के लिये प्लाटून कमाण्डर प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित कर दिया जायेगा तथा अन्य उचित वैधानिक कार्यवाही भी की जावेगी।

**(ङ)** परीक्षा कक्ष में मोबाईल फोन, केल्युलेटर, लॉग टेबल्स, नकल पर्चा एवं व्हाईटनर आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है।

### 1.9.2 लिखित परीक्षा की मेरिट सूची :-

प्रथम चरण की परीक्षा में प्राप्त अंकों की मेरिट अनुसार, विज्ञापित रिक्त पदों के जाति वर्ग अनुसार 5 गुना संख्या में अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण में – शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिये बुलाया जायेगा। जाति वर्ग अनुसार 5 गुनी संख्या के अंतिम उम्मीदवार के बराबर या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों को द्वितीय चरण की परीक्षा का अवसर दिया जावेगा, भले ही कुल संख्या 5 गुना से अधिक हो जावे।

लिखित परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों की सूची रोल नंबर क्रम में, मंडल द्वारा द्वितीय चरण की परीक्षा सम्पन्न कराने हेतु होमगार्ड विभाग की चयन समिति को उपलब्ध कराई जायेगी, जिसमें उम्मीदवारों के अंक नहीं दर्शाये जावेंगे।

उम्मीदवारों को उनके लिखित परीक्षा के परिणाम की जानकारी मंडल की वेबसाइट से मिल सकेगी। मंडल की वेबसाइट पर उम्मीदवार की परिणाम पर्ची उपलब्ध होगी जिसे डाउनलोड किया जा सकेगा। परिणाम पर्ची में उम्मीदवारों के अंक नहीं दर्शाये जावेंगे। मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड होने वाली परिणाम पर्ची के साथ ही उम्मीदवारों को उनके द्वितीय चरण की शारीरिक दक्षता परीक्षा/साक्षात्कार

के लिए केन्द्र एवं तिथि एवं उनसे सम्बन्धित जानकारियां ज्ञात हो सकेंगी । उम्मीदवारों को पृथक से कोई सूचना पत्र नहीं भेजा जावेगा ।

इस चयन परीक्षा हेतु उम्मीदवारों द्वारा व्यावसायिक परीक्षा मंडल को आवेदन पत्र एम.पी. ऑन-लाईन( M.P On-line ) के माध्यम से भरे जाते हैं । आवेदन- पत्र भरते समय उम्मीदवारों के किसी भी प्रमाण पत्र का परीक्षण व्यापम अथवा अन्य किसी भी अधिकारी द्वारा नहीं किया जाता है । साथ ही लिखित परीक्षा के पूर्व उम्मीदवारों का उंचाई तथा सीने की नाप जोख नहीं कराई जाती है ऐसी स्थिति में उंचाई तथा सीने की नाप हेतु निर्धारित अर्हताएं पूर्ण नहीं करने वाले उम्मीदवारों के सम्मिलित होने की संभावना रहेगी। अतः लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों का प्रवेश तथा लिखित परीक्षा का परिणाम प्रावधिक (Provisional) है । लिखित परीक्षा में सफल होना किसी भी उम्मीदवार का अगले चरण हेतु कोई भी दावेदारी प्रदान नहीं करता है ।

### 1.9.3 द्वितीय चरण – शारीरिक माप परीक्षण, शारीरिक प्रावीण्यता टेस्ट व साक्षात्कार :-

उम्मीदवारों को उनके लिखित परीक्षा के परिणाम की जानकारी मंडल की वेबसाईट से मिल सकेगी । मंडल की वेबसाईट पर उम्मीदवार की परिणाम पर्ची उपलब्ध होगी जिसे डाउनलोड किया जा सकेगा। परिणाम पर्ची में उम्मीदवारों के अंक नहीं दर्शाये जावेंगे । मंडल की वेबसाईट से डाउनलोड होने वाली परिणाम पर्ची के साथ ही उम्मीदवारों को उनके द्वितीय चरण की शारीरिक दक्षता परीक्षा/साक्षात्कार के लिए केन्द्र एवं तिथि एवं उनसे सम्बन्धित जानकारियां ज्ञात हो सकेंगी । उम्मीदवारों को पृथक से कोई सूचना पत्र नहीं भेजा जावेगा ।

द्वितीय चरण के अंतर्गत शारीरिक माप परीक्षण, शारीरिक प्रावीण्यता टेस्ट व साक्षात्कार की कार्यवाही राज्य शासन से गठित चयन समिति द्वारा होमगार्ड मुख्यालय स्तर पर आयोजित करायी जावेगी।

### 1.9.4 शारीरिक माप परीक्षण :-

शारीरिक माप मध्यप्रदेश शासन द्वारा गठित चयन समिति द्वारा किया जायेगा। इस संबंध में किसी भी विवाद की दशा में मुख्य चिकित्सा अधिकारी का विनिश्चय मान्य होगा। निर्धारित शारीरिक अर्हता पूर्ण नहीं करने वाले अभ्यर्थी की उम्मीदवारी स्वतः निरस्त हो जायेगी।

### 1.11.5 शारीरिक प्रावीण्यता टेस्ट :

होमगार्ड विभाग द्वारा लिये जाने वाले शारीरिक प्रावीण्यता संबंधी विभिन्न टेस्ट व अधिकतम अंक निम्नानुसार होंगे:-

स.क्र.	उम्मीदवार	अधिकतम अंक
1	लम्बी कूद	20
2	ऊँची कूद	20
3	गोला फेंक	20
4	100 मीटर दौड़	20
5	1500 मीटर दौड़	20

टेस्ट में प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिये विस्तृत अंक विभाजन मध्यप्रदेश नगर सेना तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) सेवा भर्ती नियम 2000 की अनुसूची 6 जो कि मध्यप्रदेश (असाधारण) राजपत्र दिनांक 30 अक्टूबर, 2000 एवं मध्यप्रदेश (असाधारण) राजपत्र दिनांक 24 जनवरी, 2013 में प्रकाशित हुई है, को देखें। यह अंक विभाजन सूची शारीरिक प्रवीण्यता परीक्षा के समय परीक्षा स्थल के पटल पर भी लगाई जावेगी। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि उम्मीदवारों को शारीरिक प्रवीण्यता परीक्षा के पांचो ईवेंट अर्थात ' 1-100 मीटर दौड़, 2-1500 मीटर दौड़ 3-गोला फेंक, 4-लम्बी कूद तथा 5-ऊँची कूद में शामिल होना अनिवार्य है। यदि कोई उम्मीदवार पांचों ईवेंट में भाग नहीं लेता है तो वह साक्षात्कार के लिये पात्र नहीं होगा।

**नोट:-**शारीरिक प्रवीण्यता परीक्षा हेतु उम्मीदवार को स्वास्थ्य अथवा किसी भी अन्य आधार पर परीक्षा से छूट नहीं दी जा सकेगी । उक्त के लिये किसी प्रकार का चिकित्सीय प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा। उम्मीदवार का उनकी शारीरिक प्रवीण्यता परीक्षा के लिये चयन समिति द्वारा जो तिथि सूचित की गई है, उस तिथि में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा।

**1.9.6 साक्षात्कार :-**

राज्य शासन द्वारा गठित चयन समिति द्वारा लिया जायेगा, जिसका आयोजन होमगार्ड विभाग करेगा। साक्षात्कार हेतु अधिकतम 20 अंक होंगे।

**1.9.7 बोनस अंक :-**

राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन0सी0सी0) का "सी" प्रमाण पत्र धारण करने वाले या होमगार्ड संगठन के किसी पद पर होमगार्ड प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेने वाले अभ्यर्थियों को 5 बोनस अंक प्रदान किये जावेगे।

**1.10 चयन सूची :-**

**नोट :-**द्वितीय चरण में शारीरिक दक्षता परीक्षा/साक्षात्कार की कार्यवाही राज्य शासन से गठित चयन समिति द्वारा होमगार्ड मुख्यालय स्तर पर आयोजित कराई जावेगी, जिसमें सफल उम्मीदवारों के प्राप्तांकों सहित सूची व्यापम को उपलब्ध कराई जायेगी। उपरोक्त सम्पूर्ण कार्यवाही के पश्चात् भर्ती के लिये अन्तिम गुणागुण सूची (मेरिट लिस्ट) लिखित परीक्षा, शारीरिक प्रावीण्यता परीक्षा, साक्षात्कार और बोनस अंक में अभिप्राप्त अंकों के आधार पर तैयार कर मंडल द्वारा चयन समिति को उपलब्ध कराई जायेगी, जिसके आधार पर चयन समिति उम्मीदवारों की अंतिम चयन सूची प्रकाशित करेगी। यदि किसी उम्मीदवार के पास कोई योग्यता है जो चयन समिति की राय में किसी पद विशेष के लिये अत्यंत उपयोगी है तो चयन समिति महानिदेशक, होमगार्ड के अनुमोदन पश्चात् ऐसे उम्मीदवार की ऐसे पद पर चयन की सिफारिश करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

**1.11 पारस्परिक वरीयता :-**

समान अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की आपसी सहवरीयता लिखित परीक्षा में अंकों के आधार पर निर्धारित की जावेगी। लिखित परीक्षा में भी अंक समान होने पर आयु में वरीयता के आधार पर आपसी सहवरीयता निर्धारित की जावेगी। यह आवश्यक नहीं है कि अन्तिम CUT-OFF मार्क पर समान अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों को चयन सूची में लाया जावे।

**1.12 प्रतीक्षा सूची :-**

किसी भी संवर्ग या पद के लिये कोई प्रतीक्षा सूची नहीं बनाई जावेगी।

**1.13 नियुक्ति :-**

चयनित उम्मीदवारों के संबंध में चरित्र सत्यापन कराया जायेगा तथा केवल 'अनुकूल' चरित्र पाये जाने वाले, चयन सूची में स्थान पाने वाले उम्मीदवारों के विषय में ही नियुक्ति पर विचार किया जायेगा। उम्मीदवारों का मेडिकल परीक्षण भी कराया जायेगा। नियुक्ति के लिये पात्रता हेतु उम्मीदवार का 'मेडिकली फिट' होना भी अनिवार्य है।

**नोट:-**समय की बचत एवं सुविधा के लिये शारीरिक दक्षता परीक्षा में बैठने के योग्य घोषित किये गये सभी उम्मीदवारों को पूर्ववत् सत्यापन फार्म भेजा जाता है, जो उम्मीदवारों को भरकर प्रस्तुत करना होता है, तथा इसमें से साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले सभी उम्मीदवारों का चरित्र एवं पूर्ववत् सत्यापन करा लिया जाता है। जो उम्मीदवार चयनित नहीं होता है उसके फार्म का आगे उपयोग नहीं किया जाता है। उम्मीदवारों को चरित्र सत्यापन फार्म में पूरी एवं सही सही जानकारी भरना चाहिये, कोई झूठी जानकारी, अधूरी जानकारी, अर्धसत्य जानकारी नहीं देना चाहिये। कोई जानकारी छिपाना भी नहीं चाहिये। विशेष कर चरित्र सत्यापन फार्म के कालम नम्बर 12 में सही सही जानकारी भरना आवश्यक है। अब मध्यप्रदेश शासन के चरित्र सत्यापन संबंधी नए दिशा निर्देशों के अनुसार अभ्यर्थी को चरित्र सत्यापन के संबंध में इस आशय का शपथ पत्र देना आवश्यक है जिसमें आपराधिक प्रकरणों के संबंध में उनके द्वारा उसके पूर्ववत् के अन्तर्गत दिए गए विवरणों में उसने किसी तथ्य को जानबूझकर जानते हुये नहीं छिपाया है।

- (1) नियुक्ति के उपरान्त प्रत्येक चयनित उम्मीदवार को दो वर्ष की परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा एवं निर्धारित प्रशिक्षण पर भेजा जावेगा।
- (2) नियुक्ति के लिये चुने गये उम्मीदवारों को प्रशिक्षण संस्था में उपस्थित होने के लिये प्रयोजनार्थ की जाने वाली यात्रा का किराया तथा भत्ता नहीं दिया जायेगा। प्रशिक्षण संस्था में उपस्थित होने पर प्रशिक्षण में प्रवेश के पूर्व उसका स्वास्थ्य परीक्षण कराया जायेगा जिसमें उसे पूर्ण रूप से स्वस्थ होना आवश्यक होगा। केवल योग्य पाये उम्मीदवारों को ही नियुक्ति दी जावेगी, अयोग्य उम्मीदवारों को वापस भेज दिया जावेगा।
- (3) जिस पद के लिये चयन किया जायेगा केवल उसी पद पर नियुक्ति के लिये विचार किया जा सकेगा और उसी संवर्ग में आगे पदोन्नति/पदस्थापना की जावेगी।

- (4) नियुक्ति अधिकारियों की अंतरिम आपसी सहवर्षिता परीक्षा के परिणाम के आधार पर निर्धारित की जावेगी। प्रशिक्षण के दौरान आयोजित परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर मध्यप्रदेश होमगार्ड तृतीय श्रेणी कार्यपालिक सेवा भर्ती नियम, 2000 एवं संशोधित, 2013 के अनुसार उनकी आपसी सहवर्षिता निर्धारित की जावेगी।
- (5) निर्धारित प्रशिक्षण से स्थायी या अस्थायी छूट का कोई प्रावधान नहीं है। प्रशिक्षण पर निर्धारित समय में उपस्थित न होने वाले चयनित उम्मीदवारों का नाम चयन सूची से हटा दिया जायेगा/नियुक्ति प्रस्ताव वापस ले लिया जावेगा। इस संबंध में मेडिकल प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।
- (6) चयनित उम्मीदवार को होमगार्ड विभाग की अन्य शाखाओं में राज्य के अन्दर व राज्य के बाहर पदस्थ किया जा सकेगा। राज्य सरकार के अन्तर्गत विभिन्न विभागों में की जाने वाली पदस्थापना में उसकी सहमति की आवश्यकता नहीं है।

#### 1.14 प्रशिक्षण :-

नियुक्ति उपरान्त निर्धारित अवधि में निर्धारित मानक स्तर से प्रशिक्षण उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा। प्रशिक्षण सत्र प्रारम्भ होने की सूचना चयनित उम्मीदवारों को पृथक से भेजी जावेगी। चयनित अभ्यर्थियों को विहित की गई अंतिम तारीख को या उसके पूर्व जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी, सागर अथवा रूस्तमजी आर्म्ड पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, इंदौर तथा केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, मंगेली, जबलपुर में प्रशिक्षण के लिए उपस्थित होना होगा। यदि अभ्यर्थी, नियुक्ति प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त किए बिना निश्चित समयावधि में उपस्थित होने में असमर्थ रहता है, तो उसका नाम चयन सूची से हटा दिया जायेगा। प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न शारीरिक तथा बौद्धिक प्रशिक्षण, अस्त्र-शस्त्र संचालन आदि का प्रशिक्षण दिया जायेगा। इसमें किसी वजह से कोई क्षति होने पर विभाग जिम्मेदार नहीं होगा। प्रशिक्षण में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रशिक्षण सफलता पूर्वक उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी को प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने के लिये एक अवसर प्रदान किया जावेगा। अभ्यर्थी जब तक सफलता पूर्वक प्रशिक्षण उत्तीर्ण नहीं कर लेता तब तक उसे प्रशिक्षण संस्था में ही रखा जायेगा। उक्त दोनों अवसरों में प्रशिक्षण उत्तीर्ण नहीं करने पर उसे एक माह का नोटिस देकर सेवा से मुक्त (बर्खास्त) कर दिया जायेगा।

#### 1.15 प्रमाण-पत्रों एवं दस्तावेजों के परीक्षण के समय लाये जाने वाले प्रमाण-पत्र :-

आवेदक अपने ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ कोई भी दस्तावेज संलग्न नहीं करेंगे, परन्तु द्वितीय चरण में होमगार्ड विभाग द्वारा किये जाने वाले प्रमाण पत्रों एवं दस्तावेजों के सत्यापन के समय निम्नलिखित प्रमाण पत्र एवं दस्तावेज (डाक्यूमेन्ट) मूलतः प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा:-

- (1) जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में जन्म प्रमाण पत्र अथवा हाई स्कूल या इण्टरमीडियेट (10+2) की अंक सूची जिसमें जन्म तिथि लिखि हो।
- (2) शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र (डिग्री या सर्टिफिकेट)।
- (3) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलयर) के सभी उम्मीदवार शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र। प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम, पदनाम, कार्यालय इत्यादि इसमें सुस्पष्ट होना चाहिये। प्रमाण-पत्र हेतु निर्धारित प्रपत्र इस विज्ञापन के साथ भी प्रकाशित किये जा रहे हैं।
- (4) यदि बोनस अंको हेतु दावा किया जा रहा है तो एन.सी.सी. 'सी' प्रमाण पत्र या होमगार्ड संगठन के किसा पद पर होमगार्ड प्रशिक्षण सफलता पूर्वक पूर्ण करने का प्रमाण पत्र।
- (5) भूतपूर्व सैनिकों के मामले में 'सेना' की सेवा का प्रमाण पत्र।
- (6) होमगार्ड स्वयंसेवाकों के प्रकरणों में आयु सीमा सीमा में छूट हेतु सम्बन्धित जिले के जिला सेनानी, होमगार्ड द्वारा जारी स्वयंसेवी होमगार्ड सैनिक की सेवा में होने का प्रमाण पत्र।
- (7) पूर्व से नियोजित उम्मीदवार के लिये नियोजक का अनापत्ति प्रमाण पत्र।
- (8) परित्यक्ता महिला के लिये लागू उच्चतम आयु सीमा की छूट प्राप्त करने हेतु महिला उम्मीदवारों को परित्यक्ता होने के प्रमाण के रूप में राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार से नीचे के स्तर का नहीं होगा, एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि विवाह के बाद महिला उम्मीदवार को उसके पति ने विधिवत तलाक दिये बिना छोड़ दिया है तथा उक्त पति से महिला उम्मीदवार को कोई गुजारा भत्ता नहीं प्राप्त होता है।
- (9) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रीन कार्ड धारक उम्मीदवार को आयु सीमा में छूट के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये ग्रीन कार्ड।
- (10) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अर्न्तजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरूस्कृत किसी दम्पति में से उच्च जाति के पति/पत्नी उम्मीदवार को आयु सीमा में छूट के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये पुरूस्कार सम्बन्धी प्रमाण पत्र।

(11) “ विक्रम पुरस्कार” प्राप्त उम्मीदवार को उच्चतर आयु सीमा में छूट “विक्रम पुरस्कार” हेतु पुरुश्कार सम्बन्धी प्रमाण पत्र।

(12) विवाहित उम्मीदवार को उनके बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र।

**नोट:-** सत्यापन के समय समस्त प्रमाण पत्रों एवं दस्तावेजों को मूलतः प्रस्तुत करना अनिवार्य है। समस्त प्रमाण पत्रों एवं दस्तावेजों की एक प्रमाणित प्रतिलिपि चयन समिति के समक्ष जमा करना होगा अतः द्वितीय चरण की परीक्षा में उम्मीदवार प्रमाणित प्रतिलिपियों का एक सैट अपने साथ ले कर उपस्थित होंगे। अध्याय-3 में वर्णित विभिन्न प्रारूपों के अतिरिक्त भी यदि कोई संबंधित प्रारूप शेष रह जाता है तो वह शासन के द्वारा जारी किए गए प्रारूप के अनुसार होगा।

1-16 ; k=k fdjk; k %&

आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को शारीरिक प्रवीण्यता परीक्षा /साक्षात्कार के लिये मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रचलित नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता की प्रतिपूर्ति होमगार्ड विभाग द्वारा की जायेगी।

1-17 | kekl; funk %& यहां पुनः स्पष्ट किया जाता है कि उम्मीदवारों को आयु, शैक्षणिक योग्यता, आरक्षण के प्रावधानों, शारीरिक नापजोख, लिखित परीक्षा, शारीरिक प्रवीण्यता परीक्षा, साक्षात्कार, चरित्र सत्यापन तथा चिकित्सकीय परीक्षण, सभी में पूर्णतः योग्य पाये जाने पर ही नियुक्ति प्राप्त करने की पात्रता होगी।

महानिदेशक,  
होमगार्ड मुख्यालय भोपाल

**अध्याय – 2**  
**मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल**  
**परीक्षा संचालन नियम एवं निर्देश**

egroi w k fun k %&

2-1 इस परीक्षा हेतु केवल ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त किए जायेंगे, जिसमें से आवेदक द्वारा अपनी शैक्षणिक व अन्य अर्हता को ध्यान में रखते हुए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

2-2 ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई जानकारी का सत्यापन चयन के समय संबंधित विभाग/ संस्था या भर्ती परीक्षा में संबंधित विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान करने के पूर्व किया जायेगा। अतः बाद में यदि यह पता चलता है कि आवेदक द्वारा गलत अथवा असत्य जानकारी अथवा किसी जानकारी को छुपाया है ऐसी स्थिति में किसी भी समय पर संस्था प्रमुख/संबंधित विभाग/म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा परीक्षा में प्रवेश/चयन/नियुक्ति निरस्त किया जा सकेगा।

2-3 vklykbu vkonu&i = Hkj us dh 0; oLFk %&

- (1) ocl kbM www.vyapam.nic.in vFkok www.mponline.gov.in के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा जा सकता है।
- (2) होमगार्ड मुख्यालय, गृह (पुलिस) विभाग, मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत प्लाटून कमांडर के पदों हेतु पदों हेतु अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत क्योस्क को निर्धारित शुल्क अर्थात् अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा रु. 700/- तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों द्वारा रु. 350/- का भुगतान कर भरा जा सकता है। इसके अतिरिक्त स्वयं के स्तर से भी उपरोक्त उल्लेखित वेबसाइट्स से डेविट (कोई भी वीजा/मास्टर/मास्ट्रो कार्ड)/क्रेडिट कार्ड (कोई भी वीजा/मास्टर कार्ड) या नेट बैंकिंग के माध्यम से निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान कर ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा जा सकता है। उपरोक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने वाले समस्त अभ्यर्थियों द्वारा रु. 70/- क्योस्क शुल्क देय होगा।
- (3) शुल्क भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत ऑनलाईन आवेदन-पत्र की एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें, ताकि उसमें उल्लेखित आवेदन-पत्र क्रमांक का उपयोग कर मंडल की वेबसाइट के माध्यम से प्रवेश-पत्र प्राप्त किया जा सके।

2-4 vklykbu vkonu&i = ds l kfk l ayXu fd; s tkus okys nLrkostka dk fooj .k %&

ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य रूप से स्कैन कराकर संलग्न करने होंगे। इनके अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा।

- (अ) ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ अभ्यर्थी का फोटो एवं हस्ताक्षर इमेज का मानक (Image size Min 30KB, Max 200KB, Height Min 200px, Max 300px, width Min 120px, Max 200px, DPI Min100, Max 300) अनुसार स्कैन कराकर संलग्न करने होंगे। जिसमें फोटो ऊपरी भाग में तथा हस्ताक्षर नीचे के भाग में होंगे।
- (ब) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में आवेदक को स्वयं की हस्तलिपि में दो लाईनें स्कैन करवाकर संलग्न करनी होगी। इस प्रकार हस्तलिपि के नमूने को 'रासा' पर प्रिंट किया जायेगा जिसका मिलान संबंधित वीक्षक द्वारा परीक्षा के दौरान आवश्यकता पड़ने पर किया जा सकेगा।
- (स) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में आवेदक को जन्मतिथि के प्रमाण हेतु आठवी, दसवी अथवा बारहवी की अंकसूची को स्कैन करवाकर संलग्न करना होगा।
- (द) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के जाति प्रमाणीकरण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र को स्कैन करवाकर संलग्न करना होगा। अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये इसकी अनिवार्यता नहीं होगी तथा अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए यह विकल्प आवेदन पत्र में प्रदर्शित नहीं किया जायेगा।

## 2-5 , d l s vf/kd vkWuykbL vkonu&i = Hkjus l cdkh funk %&

ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की निर्धारित अवधि में किसी कारणवश यदि आवेदक एक से अधिक अर्थात् डुप्लीकेट ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरता है, तो उसे पूर्व में भरे गए आवेदन-पत्र की जानकारी यथा नाम, पिता/पति का नाम, माता का नाम जन्मतिथि, लिंग इत्यादि में समानता के आधार पर कम्प्यूटर पर सचेत किया जायेगा कि उक्त जानकारी का पूर्व से ही ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा गया है, क्या उसे निरस्त करना चाहते हैं ? यदि आवेदक द्वारा "हाँ" विकल्प का चयन किया जाता है तब ही उसके द्वारा नवीन आवेदन-पत्र भरा जा सकेगा, अन्यथा पूर्व में भरा गया ऑनलाईन आवेदन-पत्र ही मान्य होगा। विकल्प "हाँ" का चयन कर नवीन आवेदन भरने की स्थिति में आवेदक के मोबाईल नंबर/ई-मेल आईडी पर एम. पी. ऑनलाईन द्वारा यथा सम्भव पूर्व में भरा गया आवेदन निरस्त होने की जानकारी भेजी जाएगी तथा नवीन आवेदन-पत्र की हार्डकॉपी में भी पूर्व में भरा गया आवेदन पत्र निरस्त होने की जानकारी दी जायेगी। ऐसी स्थिति में पूर्व में भरे गए आवेदन का भुगतान किया गया शुल्क राजसात किया जावेगा तथा इसके स्थान पर भरे गए नवीन आवेदन-पत्र के लिए पुनः शुल्क का भुगतान करना होगा।

## 2-6 vkWuykbL vkonu i = ds l kfk Qks/ks , oa glRrk{kj l ayXu djus l cdkh funk %&

- (i) ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ अभ्यर्थी को फोटो एवं हस्ताक्षर इमेज का मानक (Image size Min 30KB, Max 200KB, Height Min 200px, Max 300px, width Min 120px, Max 200px, DPI Min100, Max 300) अनुसार स्कैन कराकर संलग्न करने होंगे। जिसमें फोटो ऊपरी भाग में तथा हस्ताक्षर नीचे के भाग में होंगे। फोटोग्राफ अच्छी गुणवत्ता एवं पृष्ठभाग (background) सफेद होना चाहिये। पोलोराइड (Polaroid) फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थी का फोटोग्राफ सामने से खिंचा हुआ होना चाहिए। जिसमें अभ्यर्थी के दोनों कान भी स्पष्ट दिखाई दें। उपरोक्त मापदंड के फोटोग्राफ संलग्न नहीं किये जाने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।
- (ii) फोटोग्राफ vkonu Hkjus dh frfFk से तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिये तथा Qks/kxkQ i j f[kpokus dh fnukd o vkond ds uke dk Li "V mYys[k gkuk pkfg; A
- (iii) यदि पढ़ने के लिए चश्मा उपयोग में लाया जाता है, तो चश्मा लगाकर फोटोग्राफ खिंचवाया जाना होगा। काले चश्मे के साथ खिंचा हुआ फोटोग्राफ मान्य नहीं किया जायेगा।
- (iv) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया फोटो ही काउंसिलिंग/चयन प्रक्रिया में उपयोग में लाया जायेगा। अतः ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न फोटोग्राफ की कम से कम 5 प्रतियाँ सुरक्षित रखा जाना होगा।
- (v) ऑनलाईन आवेदन पत्र में हस्ताक्षर निर्धारित जगह पर फोटो के नीचे पूर्णतः स्पष्ट रूप से किये जाने होंगे। लघु अंग्रेजी के केपीटल अक्षरों में अथवा एक से अधिक हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे।
- (vi) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ दिए गए हस्ताक्षर के समान ही हस्ताक्षर परीक्षा हाल, काउंसिलिंग/चयन एवं प्रवेश के समय मान्य होंगे।

## 2-7 vkWuykbL vkonu Hkjus ds l cdkh ea funk %

2-7-1 ऑनलाईन आवेदन दिनांक 01.07.2014 से दिनांक 30.07.2014 की रात्रि 12.00 बजे तक ऑनलाईन भरे जा सकते हैं। vkonu }kjk Hkjs tkus okys vkonu i = ea jkT; , oa ftys dk fooj.k ehuv ds ek/; e l s iklr gksxA ft l s Hkfo"; ea vko'; drkuq kj jkT; , oa ftys dh vko'; d tkudkj iklr dh tk l dA igpku i = ds ehuv ea ernkrk igpku i =] iudkM] vk/kkj dkM] Mk; foax yk; l d ] Qks/ks Or vadl ph rFkk ikl iks/Z dk iko/kku j [kk x; k gS ; fn vkond }kjk vl; igpku i = p; u fd; k tkrk gS rks og nLrkost dks l k gS bl dh tkudkj vfrfjDr l g&vkbMh ds : i ea inku djuh gksxA vkond dks vkonu i = ea 'kjhj ds LFkk; h fplg rFkk ijh{kk ds le; iLnrq fd; s tkus okys Qks/ks igpku i = dk fooj.k rFkk Øekd vfuok; l : i l s vfd r fd; k tkuk gksxA buds vHkko ea vkonu i = Lohdkj ugh gksxA ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी जाने वाली समस्त जानकारियों की शुद्धता एवं सत्यता का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।

2-7-2 ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने हेतु दो विकल्प हैं :- (अ) इंटरनेट केफे अथवा (ब) स्वयं के कम्प्यूटर द्वारा

b&jus/ ds ek/; e l s vkWuykbL vkonu QkeZ Hkjus dh fof/k %

2-7-2-1 आवेदक [www.mponline.gov.in](http://www.mponline.gov.in) वेबसाइट के माध्यम से होम पेज पर उपलब्ध **Citizen Services** (नागरिक सेवाएं) के अंतर्गत **Application** क्लिक कर **Vyapam** लिंक के अंतर्गत होमगार्ड मुख्यालय, गृह (पुलिस) विभाग, मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत प्लाटून कमांडर की भर्ती हेतु चयन परीक्षा-2014 परीक्षा से संबंधित में ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने संबंधी **fun1k@Instructions** तथा परीक्षा **fu; e@Examination Rules** उपलब्ध होंगे। निर्देशों एवं नियमों का भलीभांति अध्ययन करने के पश्चात् ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने हेतु **Continue** बटन को क्लिक करें।

2-7-2-2 ऑनलाईन आवेदन-पत्र में चाही गई समस्त जानकारियों को सही-सही भरना अनिवार्य है तथा किसी भी जानकारी के रिक्त रहने की स्थिति में ऑनलाईन आवेदन-पत्र जमा नहीं किया जा सकेगा। ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि की दो लाईनों की एक इमेज तैयार करने हेतु **Link** के माध्यम से प्रारूप मुद्रित कर उसमें यथास्थान हस्तलिपि की दो लाईनें, फोटो तथा हस्ताक्षर कर उसे स्कैन कर **jpg** फॉर्मेट में ही कम्प्यूटर में सेव करें व इसे **Browse** बटन के माध्यम से सेव किए गए इमेज को ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ संलग्न (**Attach**) करें।

2-7-2-3 ऑनलाईन आवेदन-पत्र को **Submit** करने के पूर्व पुनः पढ़कर सुनिश्चित करें कि आवेदन-पत्र में भरी गई जानकारी सही है अथवा नहीं। यदि किसी प्रकार की कोई गलती हो तो उसे ठीक करने के पश्चात् ही **Submit** बटन का उपयोग कर आवेदन-पत्र को जमा करें। आवेदन पत्र जमा होने पर आवेदन-पत्र क्रमांक दर्शाया जायेगा तथा पोर्टल शुल्क के भुगतान हेतु **proceed to payment** बटन का उपयोग किया जाना होगा, जिसके अंतर्गत दो विकल्प उपलब्ध होंगे :-

- क्रेडिट/डेबिट कार्ड।
- इंटरनेट बैंकिंग।

2-7-2-4 **ØfMV@MfcV dkmZ ds ek/; e l s i j h { k k 'k y / d d k H k q r k u % &**

आवेदन-पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है। क्रेडिट/डेबिट कार्ड विकल्प का चयन करने पर निर्धारित बैंकों का भुगतान हेतु पेमेन्ट गेटवे उपलब्ध होगा, जिसमें क्रेडिट/डेबिट कार्ड का विवरण भर कर पोर्टल शुल्क का भुगतान किया जा सकता है। पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारियों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा।

2-7-2-5 **bW/juW/ cfdx ds ek/; e l s i j h { k k 'k y / d d k H k q r k u % &**

आवेदक के पास इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध होने पर ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान निर्धारित बैंकों की इंटरनेट बैंकिंग से बैंक द्वारा प्रदाय यूजर आई.डी. का उपयोग कर किया जा सकता है। पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारियों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा।

2-7-3 **, e- i h- v k l l y k b l u f d ; k l d ds ek/; e l s v k o n u Q k e l H k j u s d h f o f / k % &**

एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से भी ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा जा सकता है, जिसके लिए चाही गई समस्त जानकारियों व फोटो सहित आवेदक को जाना होगा। कियोस्कधारक द्वारा उपलब्ध कराए गए आवेदन-पत्र के प्रारूप को नियमों के अनुरूप भलीभांति भरकर देना होगा, जिसके आधार कियोस्कधारक ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा जावेगा। कियोस्कधारक आवेदक का फोटो, हस्ताक्षर व हस्तलिपि की दो लाईनों को स्कैन कर ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ यथास्थान संलग्न करेगा। फार्म भरने के उपरांत आवेदक फार्म में भरी गई समस्त जानकारियां भलीभांति पढ़कर सही-सही जानकारी भरा होना सुनिश्चित करने पश्चात् ही कियोस्कधारक को पोर्टल शुल्क का भुगतान हेतु सहमति दें तथा नकद राशि का भुगतान कियोस्कधारक को करें। भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कियोस्कधारक द्वारा कम्प्यूटराईज्ड आवेदन-पत्र सह रसीद आवेदक को उपलब्ध करायेगा, जिसमें आवेदक का ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई समस्त जानकारी के साथ पोर्टल शुल्क भुगतान की जानकारी उपलब्ध रहेगी, जिसे स्वयं के पास संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकेगा।

2-7-3-2 आवेदक के पास उपरोक्त उल्लेखित क्रेडिट/डेबिट कार्ड अथवा इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में वह ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के उपरांत एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक उपलब्ध कराकर **Unpaid Application** लिंक के

उपयोग से शुल्क का भुगतान कर आवेदन-पत्र जमा कर रसीद एवं ऑनलाईन आवेदन-पत्र की प्रति प्राप्त कर सकता है, जिसे संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकता है।

ऑनलाईन आवेदन-पत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी/समस्या के लिए M.P. OnLine के Helpdesk के दर्शाए गए दूरभाष क्रं. 0755-4019401, 02, 03, 04, 05 & 06 पर सम्पर्क किया जाना होगा।

2-8 ऑनलाईन आवेदन पत्र में आवेदकों द्वारा संशोधन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार बिन्दुओं के आधार पर होगी:-

2-8-1 ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की अंतिम तिथि के पश्चात् अगले दिन से 10 दिवस तक स्वयं आवेदक द्वारा इन्टरनेट से अथवा एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से अपने ऑनलाईन आवेदन-पत्र में संशोधन किया जा सकेगा। यह सुविधा केवल ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की निर्धारित अवधि में परीक्षा शुल्क राशि का भुगतान कर सफलतापूर्वक भरे गए आवेदन-पत्रों के लिए ही उपलब्ध होगी।

2-8-2 संशोधन हेतु निर्धारित 10 दिन की अवधि में आवेदक द्वारा एक या एक से अधिक बार अपने आवेदन-पत्र में संशोधन किया जा सकेगा, जिसके लिए प्रत्येक बार आवेदक को संशोधन शुल्क रु.100/- एवं पोर्टल शुल्क रु. 50/- का भुगतान एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करना होगा। इस प्रक्रिया में किसी आवेदक द्वारा यदि श्रेणी अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग के स्थान पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का संशोधन किया जाता है, तो उसके द्वारा भुगतान की गई परीक्षा शुल्क राशि में से अजा/अजजा के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क में छूट की राशि वापस नहीं की जायेगी। परन्तु यदि किसी आवेदक द्वारा अनु.जाति/अनु.जनजाति श्रेणी से अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग का संशोधन किया जाता है, तो उसे अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क राशि में पूर्व में जमा की गई राशि का समायोजन कर शेष राशि का भुगतान करना होगा।

2-8-3 इस प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदक को Vital Field अर्थात् नाम, पिता/माता/पति के नाम में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकेगा, अन्य प्रविष्टियों जैसे फोटो व हस्ताक्षर में संशोधन की सुविधा उपलब्ध होगी। संशोधन के लिए निर्धारित अवधि में स्वयं आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर व जन्मतिथि का उपयोग कर अपने ऑनलाईन आवेदन-पत्र में आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा तथा ऐसे किसी भी संशोधन के लिए आवेदक की स्वयं की जिम्मेदारी होगी। ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर, व्यापम आवेदन-पत्र क्रमांक, मोबाईल नंबर एवं ई-मेल आई.डी. में संशोधन नहीं किया जा सकेगा।

2-8-4 संशोधन के लिए निर्धारित समयावधि के पश्चात् किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा व किसी भी आवेदन पर मण्डल द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

2-9 एमपी0 ऑनलाईन से डेटा प्राप्त होने के उपरान्त नियम पुस्तिका में उपलब्ध करवाये गये फोटो एवं हस्ताक्षर संबंधी स्पेशिफिकेशन के आधार पर फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि का परीक्षण मण्डल स्तर पर सुनिश्चित किया जायेगा। इनमें त्रुटि, अस्पष्टता, अनुपलब्धता होने की स्थिति में आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा। इस संबंध में मण्डल द्वारा कोई भी पत्राचार नहीं किया जायेगा तथा समस्त जाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी।

2-10 **i jh{kk i D's k&i = (Test Admit Card) :-**

नियमानुसार मान्य ऑनलाईन आवेदन-पत्रों के प्रवेश-पत्र (Test Admit Card-TAC) मण्डल की वेबसाइट [www.vyapam.nic.in](http://www.vyapam.nic.in) पर दो भागों में उपलब्ध कराए जायेंगे। मण्डल की वेबसाइट पर जारी किया गया टेस्ट एडमिट कार्ड दो-भागों में जारी किया जायेगा जिसमें प्रथम भाग में आवेदक, परीक्षा का नाम, रोल नंबर एवं परीक्षा केन्द्र का विवरण इत्यादि समाहित होगा। अतिरिक्त रूप से इस भाग में आवेदक के आवेदन पत्र में भरे गये शरीर के स्थायी पहचान चिन्ह तथा फोटोयुक्त पहचान पत्र का विवरण तथा क्रमांक भी अंकित होगा।

मण्डल के टेस्ट एडमिट कार्ड के द्वितीय भाग पर आवेदक को पूर्व में प्रेषित ऑनलाईन आवेदन पत्र वाला फोटो लगाकर राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित करवाकर लाना अनिवार्य होगा अन्यथा अभ्यर्थी को परीक्षा में शामिल होने के पात्रता नहीं होगी तथा इस प्रकार के अभ्यर्थियों को 'रासा' में अनुपस्थित अंकित किया जायेगा। परीक्षा के दौरान ही वीक्षक के समक्ष अभ्यर्थी को निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर, बाये हाथ के अंगूठे का निशान तथा हस्तलिपि अंकित करना होगी। प्रवेश-पत्र पृथक से डाक द्वारा प्रेषित नहीं किए जायेंगे।

**ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक का प्रयोग कर आवेदक अपना प्रवेश-पत्र मण्डल की वेबसाइट [www.vyapam.nic.in](http://www.vyapam.nic.in) से मुद्रित कर परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। मुद्रित किए हुए प्रवेश-पत्र को सत्यापित करवाने की आवश्यकता नहीं होगी।**

**प्रवेश पत्र जारी होने के उपरांत किसी तरह का त्रुटि सुधार नहीं किया जायेगा एवं किसी भी प्रकार की त्रुटि दृष्टिगोचर होने पर मण्डल ऑनलाईन आवेदन-पत्र को रद्द/निरस्त/ परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।**

## 2-11 लिखित परीक्षा निम्नलिखित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जायेगी :-

लिखित परीक्षा निम्नलिखित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जायेगी :-

क्रं.	लिखित परीक्षा केन्द्र
1.	जबलपुर
2.	भोपाल
3.	ग्वालियर
4.	इन्दौर

मण्डल अपनी सुविधानुसार परीक्षा केन्द्रों में परिवर्तन, कमी या वृद्धि कर सकता है।

## 2-12 उक्त परीक्षा में परीक्षा शुल्क अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के लिए रु. 700/- तथा अनुसूचित जाति/जनजाति श्रेणी के लिये रु. 350/- निर्धारित है। ऑनलाईन आवेदन-पत्र हेतु एम.पी. ऑनलाईन का शुल्क रु. 70/- अतिरिक्त देय होगा।

उक्त परीक्षा में परीक्षा शुल्क अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के लिए रु. 700/- तथा अनुसूचित जाति/जनजाति श्रेणी के लिये रु. 350/- निर्धारित है। ऑनलाईन आवेदन-पत्र हेतु एम.पी. ऑनलाईन का शुल्क रु. 70/- अतिरिक्त देय होगा।

## 2-13 प्रवेश-पत्र, काला बॉलप्वाइंट पेन। लिखित परीक्षा हाल में प्रवेश हेतु उम्मीदवारों को मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किये गये प्रवेश-पत्र के साथ साथ उनका फोटोयुक्त पहचान पत्र जैसे:- मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस, फोटोयुक्त अंकसूची तथा पासपोर्ट में से कोई एक लाना अनिवार्य होगा। यदि आवेदक द्वारा अन्य पहचान पत्र का चयन किया जाता है तो वह कौन सा दस्तावेज है इसकी जानकारी अतिरिक्त सह-आई0डी0 के रूप में प्रदान करनी होगी। अन्यथा अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए उसे परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा।

प्रवेश-पत्र, काला बॉलप्वाइंट पेन। लिखित परीक्षा हाल में प्रवेश हेतु उम्मीदवारों को मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किये गये प्रवेश-पत्र के साथ साथ उनका फोटोयुक्त पहचान पत्र जैसे:- मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस, फोटोयुक्त अंकसूची तथा पासपोर्ट में से कोई एक लाना अनिवार्य होगा। यदि आवेदक द्वारा अन्य पहचान पत्र का चयन किया जाता है तो वह कौन सा दस्तावेज है इसकी जानकारी अतिरिक्त सह-आई0डी0 के रूप में प्रदान करनी होगी। अन्यथा अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए उसे परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा।

इस परीक्षा में किसी भी प्रकार के Calculator उपयोग की मनाही है अर्थात Scientific Calculator, Mobile Phone, Programmable Calculator, Watch Alarms, Listening Devices, Paging Devices (Beepers), Recording Devices, Protectors, Compasses, Scales एवं व्हाईटनर आदि पूर्णतः वर्जित है।

## 2.15 लिखित परीक्षा का विवरण :-

स.क्रं.	विषय	दिनांक	दिन	अवधि	समय	अधिकतम अंक
1.	हिन्दी एवं अंग्रेजी में दक्षता	28.09.2014	रविवार	02 घंटे	प्रातः 11:00 बजे से 01:15 बजे तक	100 (70+30)
2.	सामान्य ज्ञान	28.09.2014	रविवार	02 घंटे	दोपहर 03:00 बजे से 05:15 बजे तक	100

परीक्षा में हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, जिनमें प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर/विकल्प दिये रहेंगे। परीक्षार्थी को सही उत्तर चुनकर उससे संबंधित गोले को ओ.एम.आर. उत्तरशीट पर काले बॉल प्वाइंट पेन से काला करना होगा।

## 2.16 अनुचित साधन (Unfair means, UFM) :-

- अनुचित साधन (यू.एफ.एम.) :- निम्नलिखित में से कोई भी क्रियाकलाप/गतिविधि परीक्षार्थी द्वारा उपयोग में लाने पर उसे अनुचित साधन (यू.एफ.एम.) के अंतर्गत माना जावेगा :-
- 1/12 परीक्षा कक्ष में अन्य परीक्षार्थी से किसी भी प्रकार का सम्पर्क।
  - 1/4 1/2 अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलाना या परीक्षार्थी के स्थान पर अन्य कोई व्यक्ति उपस्थित होना।
  - 1/8 1/2 परीक्षा कक्ष में अपने पास किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री रखना।
  - 1/2 1/2 परीक्षा के दौरान चिल्लाना, बोलना, कानाफूसी करना, ईशारे करना व अन्य प्रकार से संपर्क साधना।
  - 1/4 1/2 अन्य परीक्षार्थी की उत्तरशीट या प्रश्नपुस्तिका से अन्य किसी प्रकार से नकल करना।
  - 1/4 1/2 अन्य परीक्षार्थी के साथ उत्तरशीट या प्रश्नपुस्तिका की अदला-बदली करना।
  - 1/4 1/2 प्रतिबंधित सामग्री पाये जाने पर परीक्षार्थी द्वारा उसे सौंपने से इंकार करना या उसे स्वयं नष्ट करना।
  - 1/4 1/2 नकल प्रकण से संबंधित दस्तावेजों/प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने से मना करना।
  - 1/4 1/2 सक्षम अधिकारी के निर्देशों की अवहेलना/अवज्ञा करना या उनके निर्देशों का पालन न करना।
  - 1/4 1/2 सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार उत्तरशीट या अन्य दस्तावेज वापस नहीं करना या वापस करने से मना करना।
  - 1/4 1/2 परीक्षा कार्य में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान करना, धमकाना या शारीरिक चोटपहुँचाना। उपरोक्त अनुचित साधनों तथा अभ्यर्थी के किसी अन्य कृत्य को पर्यवेक्षक/केन्द्र अधीक्षक/वीक्षक द्वारा अनुचित साधन की श्रेणी माना जाता है, तो उस पर न्यायिक कार्यवाही की जायेगी। अभ्यर्थी की उत्तरपुस्तिका को अनुचित साधन के अंतर्गत मानते हुए मूल्यांकन नहीं किया जायेगा तथा उसका अभ्यर्थित्व निरस्त कर दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार के अनुचित साधन का उपयोग किये जाने पर अभ्यर्थी को पुलिस को आवश्यक कार्यवाही हेतु सौंपा जायेगा और उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य उम्मीदवार के स्थान पर परीक्षा में सम्मिलित होता है तो वह कृत्य पररूपधारण (IMPERSONATION) की श्रेणी में आयेगा। पररूपधारण का कृत्य विधि के अनुसार अपराध है। ऐसे अपराध के लिए आवेदनकर्ता एवं उसके स्थान पर परीक्षा में बैठने वाला व्यक्ति विधि के अनुसार सजा या जुर्माना एवं दोनों से दण्डित किये जा सकेंगे। साथ ही उम्मीदवार का परीक्षा परिणाम भी निरस्त किया जायेगा। विभाग द्वारा दस्तावेजों के परीक्षण/सत्यापन व नियुक्ति के समय कोई आवेदक या उसके दस्तावेज फर्जी या संदिग्ध पाये जाते हैं, तो विभाग द्वारा उक्त अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त करते हुए पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा कर मंडल को अवगत कराया जायेगा, ताकि मंडल स्तर से संबंधित अभ्यर्थी का परीक्षा परिणाम निरस्त किया जा सके।
  - 1/8 1/2 परीक्षार्थियों द्वारा ओ0एम0आर0 उत्तरशीट्स में व्हाईटनर का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है। मण्डल कार्यालय को व्हाईटनर लगी ओ0एम0आर0 उत्तरशीट्स प्राप्त होने से इन्हे स्केनर द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है जिससे तकनीकी रूप से स्केनरर्स में परेशानी होती है तथा इस प्रकार की कार्यवाही परीक्षा नियमों के भी विपरीत है। अतः व्हाईटनर के प्रयोग वाली ओ0एम0आर0 उत्तर शीटों के ऐसे प्रकरणों को यू0एफ0एम0 समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाकर परीक्षण उपरांत यू0एफ0एम0 मान्य करते हुए ऐसे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता मण्डल स्तर से समाप्त की जावेगी।
  - 1/4 1/2 परीक्षा के पूर्व/दौरान/पश्चात परीक्षा प्रक्रिया में अथवा परीक्षा के डाटा में किसी भी स्तर पर छेड़छाड़ या किसी भी व्यक्ति से मिलकर परीक्षा की प्रक्रियाओं का उल्लंघन करते हुए अनुचित लाभ प्राप्त किये जाने का प्रयास परिलक्षित होने पर अथवा अभ्यर्थियों का वह कृत्य जिससे परीक्षा की अनुल्लंघनियता (Sanctity) प्रभावित होती हो, परीक्षण उपरांत यू0एफ0एम0 प्रकरण मान्य करते हुए संबंधित अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता समाप्त की जावेगी।
  - 1/4 1/2 परीक्षार्थियों के विरुद्ध परीक्षा के पूर्व/दौरान/पश्चात परीक्षा संबंधी प्रकरण दर्ज किये जाने अथवा परीक्षा संबंधी आपराधिक प्रकरणों में संलिप्तता पाये जाने पर परीक्षण उपरांत यू0एफ0एम0 प्रकरण मान्य करते हुए संबंधित अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता समाप्त की जावेगी।

## 2.17 मूल्यांकन पद्धति :-

वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जायेगा। गलत उत्तर अंकित करने या एक से अधिक उत्तर(Multiple marking) अंकित करने एवं प्रश्नों के उत्तर अंकित न करने के फलस्वरूप शून्य (Zero)अंक प्रदाय किया जायेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जावेगा।

## 2-18 = [V i w k i z u] m l d k f u j L r h d j . k , o a c n y s e a f n ; k x ; k v d %&

परीक्षा उपरांत मंडल द्वारा विषय विशेषज्ञों से प्रश्नपत्र के प्रत्येक प्रश्न का परीक्षण कराया जाता है। विषय विशेषज्ञों द्वारा किसी प्रश्न को त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर उस प्रश्न को निरस्त कर दिया जाता है। निम्नलिखित कारणों से प्रश्न निरस्त किए जा सकते हैं :-

- 1- प्रश्न निर्धारित पाठ्यक्रम से बाहर का हो।
- 2- प्रश्न की संरचना गलत हो।
- 3- उत्तर के रूप में दिये गये विकल्पों में एक से अधिक विकल्प सही हों।
- 4- कोई भी विकल्प सही न हो।
- 5- यदि प्रश्न-पत्र के किसी प्रश्न के अंग्रेजी एवं हिन्दी अनुवाद में भिन्नता हो जिस कारण दोनों के भिन्न-भिन्न अर्थ निकलते हों और सही एक भी उत्तर प्राप्त न होता हो।
- 6- कोई अन्य मुद्रण त्रुटि हुई हो जिससे सही उत्तर प्राप्त न हो या एक से अधिक विकल्प सही हो।
- 7- अन्य कोई कारण, जिसे विषय विशेषज्ञ द्वारा उचित समझा जाये। प्रश्न पत्र विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिए सभी को इस प्रश्न-पत्र में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में मण्डल अंक प्रदान करता है। भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया हो या नहीं।

उदाहरण स्वरूप यदि किसी 100 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 98 प्रश्नों में 81 अंक प्राप्त करता है, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी, जिसमें पूर्णांक में परिवर्तन के लिये 0.5 या उससे अधिक अंकों को एक तथा 0.5 से कम अंकों को शून्य गिना जावेगा।

$$\frac{81 \times 100}{(100 - 2)} = 82.65 = \text{Round Off } 83$$

नोट :- सभी गणना को दो दशमलव तक राउंड ऑफ किया जायेगा।

## 2.19 प्रश्नपुस्तिका के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदन :-

प्रश्न-पुस्तिका में किसी प्रकार की त्रुटिपूर्ण प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में केवल परीक्षार्थी द्वारा अपनी आपत्तियाँ निर्धारित प्रारूप 05 एवं 06 में आवश्यक अभिलेख सहित परीक्षा आयोजन की तिथि के उपरान्त एक सप्ताह के भीतर मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है। बिन्दु क्रमांक 2.18 अनुसार मण्डल द्वारा प्रश्न-पुस्तिका में त्रुटिपूर्ण प्रश्नों के साथ-साथ परीक्षार्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार उपरान्त मूल्यांकन हेतु अंतिम "की" (आदर्श उत्तर) तैयार की जायेगी। आदर्श उत्तरों के संबंध में मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम व बंधनकारी होगा।

## 2-20 i j h { k k i f j . k k e d k i z k ' k u %&

परीक्षा परिणाम घोषित होने के पूर्व मण्डल की वेबसाईट पर परीक्षा परिणाम के साथ-साथ विषयवार आदर्श उत्तर (subject wise model answers) अभ्यर्थियों की सुविधा के लिये उपलब्ध होंगे। अध्याय-1 से 2 में उल्लेखित नियमों के आधार पर मण्डल द्वारा अभ्यर्थियों की प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी। पुलिस विभाग की अनुशंसा/निर्देश उपरांत परीक्षा परिणाम मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल की वेबसाईट [www.vyapam.nic.in](http://www.vyapam.nic.in) पर उपलब्ध कराया जावेगा।

## 2-21 v d l p h %&

इस चयन परीक्षा के सभी चरणों के सम्पन्न होने के बाद तथा परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित होने के उपरांत अभ्यर्थियों की अंकसूची मण्डल की वेबसाईट [www.vyapam.nic.in](http://www.vyapam.nic.in) पर अपलोड की जा सकेगी। तदनुसार अभ्यर्थी वेबसाईट से डाउनलोड कर अंकसूची प्राप्त कर सकते हैं। डाक से अंकसूची का प्रेषण नहीं किया जायेगा।

## 2-22 e - i z 0 ; k o l k f ; d i j h { k k e M y d k d k ; L i o s ' k i j h { k k d k l p k y u , o a m l d k i f j . k k e ? k k f " k r d j u k e k = g k s k k %&

परीक्षा संचालन से संबंधित सभी नीतिगत विषयों का निर्धारण एवं निर्णय लेने का अंतिम अधिकार मण्डल का होगा। मण्डल अपने पास परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं को संशोधित करने का अधिकार

सुरक्षित रखता है एवं मण्डल द्वारा किया गया कोई भी ऐसा संशोधन बंधनकारी होगा। अंतिम रूप से परीक्षा परिणाम घोषित होने की दिनांक से छः माह पश्चात् परीक्षा से संबंधित अभिलेख नष्ट कर दिए जायेंगे।

2-23 U; kf; d {ks=kf/kdkj %&

परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं के विधि संबंधी किसी भी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकारी (Jurisdiction) मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय तक ही सीमित रहेगा।

---0---

## अध्याय – 3

### लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम

**3.1 प्रश्न-पत्र – 1 (अधिकतम अंक-100) :-**

**Marks: 30**

**English (10+2 Level)**

**Functional Grammar**

- 1- Tenses
- 2- Modals
- 3- Determiners
- 4- Articles
- 5- Voices
- 6- Narration
- 7- Prepositions
- 8- Clauses

An unseen passage with a variety of questions including marks for vocabulary such as word formation and inferring meaning.

**The passages could be any of the following two types:-**

- (a) Factual passages- e.g. instructions, descriptions, reports.
- (b) Discursive passages- involving opinion e.g. argumentative, persuasive.

**पाठ्यक्रम हिन्दी (10+2 स्तर)**

**70 अंक**

**भाषा बोध-**

- शब्द निर्माण- (उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास) पर आधारित प्रश्न
- समोच्चरित भिन्नार्थक शब्द पर आधारित प्रश्न
- अनेकार्थी शब्द पर आधारित प्रश्न
- विलोम शब्द पर आधारित प्रश्न
- पर्यायवाची शब्द पर आधारित प्रश्न
- वाक्यांश के लिए एक शब्द पर आधारित प्रश्न
- भाव पल्लवन/भाव विस्तार पर आधारित प्रश्न
- वाक्य – अशुद्धि संशोधन पर आधारित प्रश्न
- वाक्य परिवर्तन पर आधारित प्रश्न
- मुहावरे/लोकोक्तियों पर आधारित प्रश्न
- समास विग्रह तथा समास के भेद पर प्रश्न
- संक्षिप्तिकरण पर प्रश्न
- भिन्नार्थक समोच्चरित शब्द पर प्रश्न
- पारिभाषिक, तकनीकी शब्दों के प्रयोग पर प्रश्न
- वाक्य भेद (रचना, अर्थ के आधार पर) वाक्य रूपान्तर पर प्रश्न
- शब्द युग्म पर प्रश्न
- बोली, विभाषा, मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा पर प्रश्न
- मुहावरे/ लोकोक्तियों का वाक्य में प्रयोग पर प्रश्न

**काव्य बोध-**

- काव्य की परिभाषा – भेद, मुक्तक काव्य, प्रबन्ध काव्य (महाकाव्य, खण्डकाव्य) पर प्रश्न
- रस – परिभाषा, अंग, भेद और उदाहरण पर प्रश्न
- अलंकार- वक्रोक्ति, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति पर प्रश्न
- छन्द- गीतिका, हरिगीतिका, उल्लाला, रोला पर प्रश्न
- रस परिचय, अंग, रस भेद- उदाहरण सहित अलंकार
- छंद, काव्य की परिभाषा एवं काव्य के भेद काव्य गुण
- क्षेत्रीय बोली-पहेलियाँ, चुटकुले, लोकगीत, लोक कथाओं का परिचय तथा खड़ी बोली में उनका

अनुवाद ।

म.प्र. से प्रकाशित होने वाली हिन्दी भाषा की पत्र पत्रिकाओं की जानकारी ।

अपठित बोध –

एक गद्यांश – शीर्षक सारांश एवं प्रश्न

एक पद्यांश – शीर्षक, सारांश एवं प्रश्न

### 3.2 प्रश्न-पत्र – 2 (अधिकतम अंक-100) :-

सामान्य ज्ञान में वस्तुनिष्ठ प्रकार के मध्यप्रदेश राज्य, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य जानकारियों के अतिरिक्त गणित, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं विज्ञान विषय आधारित प्रश्नों के साथ जनरल एप्टीट्यूड, सामान्य बुद्धि गुणवत्ता के रीजनिंग संबंधी प्रश्न शामिल होंगे ।

---0---

## अध्याय-4

### प्रमाण-पत्रों के प्रारूप

#### अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिये स्थायी जाति प्रमाण पत्र

ऐसे उम्मीदवार, जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा अधिसूचित नियमों के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य होने के नाते, आयु संबंधी या अन्य सुविधायें चाहते हों तो निम्नांकित प्राधिकारियों में से किस एक प्राधिकारी से निम्न प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करें :-

1. जिलाध्यक्ष/अपर जिलाध्यक्ष/उप जिलाध्यक्ष/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अथवा जिलाध्यक्ष द्वारा अधिकृत अन्य कोई अधिकारी।

स्थाई प्रमाण पत्र नीचे लिखे प्रारूप के अनुसार होना चाहिये -

#### कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग.....जिला.....मध्य प्रदेश  
पुस्तक क्रमांक.....  
प्रमाण पत्र क्रमांक.....प्रकरण क्रमांक.....

#### स्थायी जाति प्रमाण पत्र-नियम 8 (1)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....  
पिता/पति का नाम .....निवासी/ग्राम/नगर ..... विकास  
खण्ड ..... तहसील.....जिला.....संभाग..... जाति/जनजाति का/की  
सदस्य हैं और इस जाति/जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्य प्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित  
जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यह ..... जाति/जनजाति अनुसूचित जाति  
एवं जनजाति (संशोधन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत मध्य प्रदेश की सूची में अनुक्रमांक..... पर अंकित हैं, अतः  
श्री/श्रीमती/कुमारी .....पिता/पति का नाम .....अनुसूचित जाति/ जनजाति का/की हैं।  
2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी.....के परिवार की कुल  
वार्षिक आय रुपये.....है।

दिनांक .....

हस्ताक्षर  
(सील) प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम, पदनाम

**अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिये  
अस्थायी जाति प्रमाण पत्र**

ऐसे उम्मीदवार जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा अधिसूचित नियमों के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनु.जनजाति के सदस्य होने के नाते, आयु संबंधी या अन्य सुविधायें चाहते हो तथा उनके पास जाति संबंधी स्थाई प्रमाण पत्र उपलब्ध न हो तो निम्नांकित प्राधिकारियों में से किसी एक प्राधिकारी से निम्न प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें:-

1. संबंधित (राजस्व) अधिकारी/तहसीलदार/अतिरिक्त तहसीलदार/नायब तहसीलदार।

**अस्थायी प्रमाण पत्र नीचे लिखे प्रारूप के अनुसार होना चाहिये -**

**(अस्थायी प्रमाण पत्र) नियम 8 (2)  
कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)**

अनुभाग.....जिला.....मध्य प्रदेश  
पुस्तक क्रमांक.....  
प्रमाण पत्र क्रमांक.....प्रकरण क्रमांक.....

**जाति प्रमाण पत्र**

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..... पिता/पति का नाम ..  
.....निवासी/ग्राम/नगर .....वि.ख. ....तहसील...  
.....जिला..... संभाग.....जाति/जनजाति का/की सदस्य हैं  
और इस जाति/जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्य प्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित  
जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यह ..... जाति/जनजाति अनुसूचित जाति  
एवं जनजाति (संशोधन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत मध्य प्रदेश की सूची में अनुक्रमांक. ....पर  
अंकित हैं, अतः श्री/श्रीमती/कुमारी .....पिता/पति का नाम .....  
अनुसूचित जाति/ जनजाति का/की हैं ।  
2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी.....के परिवार की कुल वार्षिक  
आय रूपये.....हैं ।

दिनांक .....  
(सील)

हस्ताक्षर  
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम, पदनाम

यह प्रमाण पत्र जारी होने के दिनांक से 6 माह के लिये वैध रहेगा।

अन्य पिछड़ा वर्गों के शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिये  
प्रस्तुत किये जाने वाले जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप  
(स्थायी जाति प्रमाण पत्र) नियम 8(1)  
कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग.....जिला.....मध्यप्रदेश  
पुस्तक क्रमांक.....  
प्रमाण पत्र क्रमांक.....प्रकरण क्रमांक.....

**जाति प्रमाण पत्र**

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....पिता/पति का....  
नाम .....निवास/ग्राम/नगर ..... वि.ख.....तहसील.....जिला.....  
.....संभाग.....मध्य प्रदेश के निवासी हैं, जो.....जाति के हैं, जिसे पिछड़ा वर्ग  
के रूप में मध्य प्रदेश शासन, आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक  
एफ-8-5/पच्चीस/4/84, दिनांक 26 दिसम्बर 1984 द्वारा अधिमान्य किया गया है।  
श्री/श्रीमती/कुमारी .....पिता/पति का नाम .....और/उनका परिवार सामान्यतः  
मध्य प्रदेश के जिला .....संभाग.....में निवास करता है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि  
श्री/श्रीमती/कुमारी.....क्रीमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) व्यक्तियों/वर्गों की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिसका उल्लेख  
भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग केपरिपत्र क्रमांक 360/2/22/93/स्था(एस.सी.टी.) दिनांक 8.9.1993 द्वारा जारी सूची  
के कालम-3 में मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक-एफ-7-26/93/1/आप्र./दिनांक 8 मार्च,  
1994 के साथ संलग्न परिशिष्ट 'ई' की अनुसूची के कालम (3) में किया गया है।  
3. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी .....के परिवार की कुल वार्षिक आय  
रूपये.....है।

दिनांक .....  
(सील)

हस्ताक्षर  
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम,पदनाम

यह प्रमाण पत्र जारी करने के लिये प्राधिकृत अधिकारियों की सूची।  
प्रमाणीकरण हेतु निम्नलिखित अधिकारियों को प्राधिकृत किया गया है जहां कि अभ्यर्थी एवं उसका परिवार निवास  
करता है।  
जिलाध्यक्ष/अपर जिलाध्यक्ष/उप जिलाध्यक्ष/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/जिलाध्यक्ष अथवा शासन द्वारा अन्य  
प्राधिकृत अधिकारी।

अन्य पिछड़ा वर्गों के शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिये  
प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप  
(अस्थायी जाति प्रमाण पत्र) नियम 8(2)  
कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग.....जिला.....मध्यप्रदेश  
पुस्तक क्रमांक.....प्रमाण पत्र क्रमांक.....प्रकरण क्रमांक.....

जाति प्रमाण पत्र

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....पिता/पति का नाम ....  
.....निवास/ग्राम/नगर .....वि.ख..... तहसील.....  
.....जिला..... संभाग..... मध्य प्रदेश के निवासी हैं, जो..... जाति के हैं,  
जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में मध्य प्रदेश शासन, आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना  
क्रमांक एफ-8-5/पच्चीस/4/84, दिनांक 26 दिसम्बर 1984 द्वारा अधिमन्य किया गया है। श्री/श्रीमती/कुमारी .....  
.....पिता/पति का नाम .....और/उनका परिवार सामान्यतः मध्य प्रदेश के जिला .....  
.....संभाग में निवास करता है। यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....क्रीमीलेयर (सम्पन्न  
वर्ग ) व्यक्तियों/ वर्गों की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिसका उल्लेख भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परिपत्र  
क्रमांक 360/2/22/93/स्था(एस.सी.टी.) दिनांक 8.9.1993 द्वारा जारी सूची के कालम-3 में मध्य प्रदेश शासन, सामान्य  
प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक-एफ-7-26/93/1/आप्र. /दिनांक 8 मार्च, 1994 के साथ संलग्न परिशिष्ट 'ई' की  
अनुसूची के कालम (3) में किया गया है।
3. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी .....के परिवार की कुल  
वार्षिक आय रूपये.....हैं।

दिनांक .....  
(सील)

हस्ताक्षर  
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम, पदनाम

यह प्रमाण पत्र जारी करने के लिये प्राधिकृत अधिकारियों की सूची। प्रमाणीकरण हेतु निम्नलिखित अधिकारियों को प्राधिकृत किया गया है जहां कि अभ्यर्थी एवं उसका परिवार निवास करता है। संबंधित राजस्व अधिकारी/ तहसीलदार/ अतिरिक्त तहसीलदार/ नायव तहसीलदार

यह प्रमाण पत्र जारी करने के दिनांक से 6 माह के लिये वैध रहेगा।

**नोट :** वर्णित विभिन्न प्रारूपों के अतिरिक्त भी यदि कोई संबंधित प्रारूप शेष रह जाता है तो वह शासन के द्वारा जारी किए गए प्रारूप के अनुसार होगा।

**प्रारूप-5**

प्रश्न-पुस्तिका के प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में अभ्यावेदन  
(नोट- यह प्रपत्र केवल परीक्षार्थी द्वारा ही भरकर निर्धारित समयावधि तक  
मण्डल कार्यालय में उपलब्ध कराने पर विचार क्षेत्र में लिया जाएगा )

परीक्षा का नाम	
अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	
अभ्यर्थी का नाम	
अभ्यर्थी का परीक्षा केन्द्र	
अभ्यर्थी का सेट क्रमांक	

उपरोक्त परीक्षा के प्रश्न-पत्र में निम्नलिखित प्रश्न/उत्तर उल्लेखित कारणों से त्रुटिपूर्ण है :-

स0क्र0	प्रश्न क्रमांक/ उत्तर क्रमांक	त्रुटि का विवरण	साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत दस्तावेज का विवरण	संलग्नक क्रमांक

2. उक्त त्रुटियों से संबंधित अभिलेख इस अभ्यावेदन के साथ संलग्न प्रेषित है । कृपया उक्त प्रश्नों के त्रुटि का निराकरण करने का कष्ट करें ।

आवेदक के हस्ताक्षर.....

.....

आवेदक का नाम एवं पता.....

.....

.....

दूरभाष क्रमांक.....

दिनांक .....

ik: i&amp;6

ekWly mRrjka ds l czk ea vH; konu  
(देखें नियम 2.18 एवं 2.19)

आदर्श उत्तरों पर आपत्ति हेतु अभ्यावेदन  
(नोट- यह प्रपत्र केवल परीक्षार्थी द्वारा ही भरकर निर्धारित समयावधि तक मण्डल कार्यालय में उपलब्ध कराने पर विचार क्षेत्र में लिया जाएगा )

परीक्षा का नाम	
परीक्षा का दिनांक	
अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	
अभ्यर्थी का नाम	
अभ्यर्थी का सेट क्रमांक	
प्रश्न पत्र का कोड	
परीक्षा शिफ्ट	
परीक्षा का समय	
परीक्षा शहर का नाम	
अभ्यर्थी का परीक्षा केन्द्र	

मंडल की वेबसाईट पर प्रदर्शित सेट क्रमांक ..... के आदर्श उत्तर में निम्नलिखित उत्तर त्रुटिपूर्ण है :-

स.क्र.	विषय	प्रश्न क्रमांक	आदर्श कुंजी में प्रदर्शित उत्तर	अभ्यर्थी के अनुसार उत्तर	उत्तर के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज का विवरण	संलग्नक क्रमांक

2. उक्त त्रुटियों से संबंधित अभिलेख इस अभ्यावेदन के साथ संलग्न प्रेषित है।

आवेदक के हस्ताक्षर.....

आवेदक का नाम एवं पता.....

.....

.....

दूरभाष क्रमांक.....

दिनांक .....

## I gefr i æk.k&i =

e/; i n's k 0; kol kf; d ijh{kk e.My }kjk gkæxkMZ e[; ky;] x'g ¼i fyi ½ foHkkx] e/; i n's k 'kkl u ds varx'r lykVuu dekaMj dh Hkrh'z gsrq p; u ijh{kk&2014 ds fy, r\$ kj dh xb'z fu; ei fLrdk ea mYyf[kr i fyi foHkkx l s l æf/kr l eLr fu; e o tkudkj h dh i f"V o I gefr inku dh tkrh gA r\$ kj fu; ei fLrdk ds vuq kj ijh{kk vk; kstu ea foHkkx dks dkb'z vki fRr ugha g\$ rFkk ijh{kk vk; kstu ds l æf/kr ea foHkkx vi uk i w'kz l g; ksx inku djsxkA

rnud kj ; g I gefr i æk.k&i = l R; kfir@gLrk{kfjr dj inku fd; k tkrk gA

भोपाल, दिनांक :

सत्यापनकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम :-.....

पदनाम :-.....

सील :-.....

---

